<u>न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर</u>

अपील/डिक्री/टीए/122/2003/हनुमानगढ

रामकरण पुत्र श्री ख्यालीराम जाति जाट निवासी रोडावाली तहसील व जिला हनुमानगढ

अपीलार्थी

<u>बनाम</u>

1. कालूराम
2. भोलूराम
3. मदन लाल

पिसरान श्री चेतराम जाति जाट निवासी रोडावाली तहसील व जिला हनुमानगढ

प्रत्यर्थीगण

खण्ड पीठ
श्री शिखर अग्रवाल सदस्य
श्री धूकलराम कसवां सदस्य

<u>उपस्थित</u>
श्री डूँगर सिंह अभिभाषक अपीलार्थी
श्री मनीश पाण्डया अभिभाषक प्रत्यर्थी

<u>निर्णय</u>

<u>दिनांक 12.02.19</u>

1. यह अपील राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ के निर्णय व डिक्री दिनांक 10–10–02 के विरूद्ध राजस्थान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ के समक्ष प्रत्यर्थीगण 1लगायत 3 ने अपीलार्थी के विरूद्ध एक वाद अधिनियम की धारा 183 के तहत वाद पत्र में अंकित आराजी के बाबत प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने वाद को दर्ज रजिस्टर कर

प्रतिवादी अपीलार्थी रामकरण को तलब किया। प्रतिवादी की ओर से जबाब दावा मय काउण्टर क्लेम प्रस्तुत होने पर दावा एवं जबाब दावा के आधार पर कुल छ तनकीयात कायम की गई और अपने निर्णय दिनांक 31–3–01से वादीगण का वाद खारिज कर प्रतिवादी अपीलार्थी का काउण्टर क्लेम स्वीकार कर वादग्रस्त आराजी चक 4 आर आर डब्लू के प.नं.124/232 के कि.नं.21/2 रकबा 0–114 हेक्टर का अपीलार्थी प्रतिवादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया। इससे व्यथित होकर प्रत्यर्थीगण ने राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 10–10–02 से अपील स्वीकार कर वादीगण का वाद स्वीकार कर अपीलार्थी प्रतिवादी का काउण्टर क्लेम खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष पेश की गई है।

3. उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि वादग्रस्त आराजी पूर्व में अपीलार्थी व प्रत्यर्थी के दादा श्री श्योकरण की भूमि थी जिन्होंने जरिये तमलीकनामा वादग्रस्त भूमि अपीलार्थी के पिता ख्यालीराम व प्रत्यर्थी के पिता चेतराम को सन 1959 में दी थी। तदनुसार वादग्रस्त भूमि चक नं 4 आर आर डब्लू पत्थर नम्बर 124/232 में कन्वर्ट हुई। उक्त भूमि वादी व अपीलार्थी की संयुक्त भूमि थी जिसका बटवारा भू प्रबन्ध विभाग के समक्ष दोनों पक्षों ने मिलकर राजीनामे अनुसारे किया था और यह भी निवेदन किया था कि आपसी रजामन्दी व कब्जे काश्त मौके के अनुसार राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जावे। वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त अपीलार्थी प्रतिवादी का था। राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष आदेश 41 नियम 27जाब्ता दीवानी के साथ चक 4 आर आर डब्लू की खसरा

गिरदावरी प्रस्तुत की थी जो कि भू प्रबन्ध विभाग के बाद की होने से मानने योग्य नहीं थी फिर भी राजस्व अपील प्राधिकारी ने खसरा गिरदावरी के आधार पर वाद डिक्री करने में विधिक भूल की है। अपीलार्थी की ओर से नकल बटवारा प्रस्तुत किया गया था जससे सिद्ध था कि वादग्रस्त आराजी भू प्रबन्ध से पूर्व दोनें पक्षों की खातेदारी में दर्ज थी। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत सजरा खानदान से प्रत्यर्थीगण वादीगण ने इन्कार नहीं किया है और न ही प्रत्यर्थी ने तबादले में प्राप्त होने का उल्लेख किया है फिर भी राजस्व अपील प्राधिकारी ने बिना अभिकथनों के वादग्रस्त भूमि को तबादले में प्राप्त होना मानकर जो निर्णय व डिक्री पारित की है वह विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

5. जबाब में प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि वह विवादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार हैं जिसकी जमाबन्दी प्रदर्श–1 प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी का कब्जा वादग्रस्त आराजी पर बतौर अतिक्रमी है। अपीलार्थी प्रतिवादी ने अपने जबाब दावे में विवादग्रस्त आराजी घरू बटवारे में प्राप्त होना कथन किया है परन्तु इस बाबत कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। प्रत्यर्थी संख्या 2 भोलूराम ने अपनी साक्ष्य में यह स्पष्ट कथन किया है कि विवादित भूमि उन्हें तबादले में प्राप्त हुई थी। उक्त भूमि श्योकरण से न तो विरासत में प्राप्त हुई और न ही संयुक्त खाते में दर्ज थी। प्रत्यर्थीगण के पिता चेतराम को उसकी भूमि मण्डी स्कीम में आने के पश्चात जोहड पायतन चक 4आर आर डब्लू की अन्य भूमि के साथ साथ विवादित भूमि प.नं.124/232 की किला नं 21 भी प्राप्त हुई थी। तबादले में मिलने के बाद भूमि चेतराम के कब्जे काश्त में रही । इस तथ्य को साबित करने का भार अपीलार्थी पर था कि विवादित भूमि घरू बटवारे में उन्हें प्राप्त हुई थी। विवादित भूमि खसरा गिरदावरी सम्बत 2024 से 2027 में चेतराम के नाम बतौर तबादला में कब्जा काश्त दर्ज है। अपीलार्थी ने

चक 4 आर आर डब्लू की खसरा गिरदावरी सम्बत 2028से 2031 प्रस्तुत की है जिसमें पत्थर नम्बर अंकित नहीं है। इसलिये यह नहीं माना जा सकता कि उक्त गिरदावरी विवादित भूमि की है। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रदर्श डी–1 जो उभय पक्ष के पिता ख्यालीराम एवं अन्य सहखातेदारों द्वारा भू प्रबन्ध अधिकारी के समक्ष मुताबिक कब्जा काश्त आपसी सहमति के अनुसार बटवारा बाबत प्रस्तुत किया गया था उसमें विवादित भूमि प्रत्यर्थीगण के हिस्से में दी गई थी। अपीलार्थी ने अपनी साक्ष्य में इस तथ्य को स्वीकार भी किया है कि भू प्रबन्ध विभाग ने जो बटवारा किया था वह कब्जा काश्त के अनुसार किया था। अपीलार्थी का कथन किसी भी साक्ष्य से साबित नहीं है। इसलिये अपीलीय न्यायालय ने वाद को डिक्री करने में एवं अपीलार्थी का काउण्टर क्लेम खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। अपील खारिज योग्य है।

6. हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. इस प्रकरण में मुख्य रूप से निर्णायक बिन्दु यह हैं कि क्या वादग्रस्त आराजी पर अपीलार्थी प्रतिवादी अतिक्रमी की हैसियत से काबिज है और क्या अपीलार्थी को वादग्रस्त आराजी घरू बटवारे में प्राप्त हुई है और क्या अपीलार्थी खातेदारी की घोषणा प्राप्त करने का अधिकारी है? इस परिप्रेक्ष्य में हमने अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावली में उपलब्ध दस्तोवजी एवं मौखिक साक्ष्य का अवलोकन किया तो हम पाते हैं कि वादी ने विवादित भूमि की जमाबन्दी की नकलें प्रदर्श–1 व 2 व नक्शा पेश किया है। मौखि साक्ष्य में पी डब्लू–1व पी डब्लू–2 के बयान कराये हैं। विवादग्रस्त भूमि वर्तमान में रेकार्ड में प्रत्यर्थी के नाम दर्ज है तथा कब्जा अपीलार्थी का है। भू प्रबन्ध से पूर्व यह भूमि किसके नाम दर्ज थी, इस बाबत उभय पक्ष की ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है। साथ ही उभय पक्ष यह स्वीकार करते हैं कि विवादित भूमि भू प्रबन्ध से पूर्व

उनके संयुक्त खातेदारी में दर्ज थी। भू प्रबन्ध के दौरान यह भूमि वादीगण के नाम दर्ज हुई है। भू प्रबन्ध से पूर्व कब्जा वादीगण का होने या भू प्रबन्ध के बाद कब्जा वादीगण का होने बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की गई है। अपीलार्थी प्रतिवादी का यह कथन रहा है कि वादग्रस्त भूमि पर कब्जा हमेशा से बटवारे के बाद से लगातार उसी का चला आ रहा है। वादीगण के पिता ने भू प्रबन्ध विभाग में विवादित भूमि पर कब्जा अपीलार्थी प्रतिवादी का होते हुये भी कब्जा अपने पुत्रों यानि वादीगण का दिखाकर भूमि वादीगण के नाम दर्ज करवा ली। भू प्रबन्ध विभाग में जो प्रार्थना पत्र पेश किया गया था उस पर हमारे और कागज पर दस्तखत कराकर विवादित भूमि को छोडकर शेष भूमि का विवरण पक्षकारान के कब्जा काश्त के अनुसार दर्ज करा दिया लेकिन विवादित भूमि का विवरण कब्जा काश्त के अनुसार दर्ज नहीं किया गया। कब्जे काश्त के सम्बन्ध में अपीलार्थी प्रतिवादी के गवाह डी डब्लू–2से डी डब्लू–5 ने यह स्वीकार किया है कि उन्होंने विवादित भूमि पर हमेशा से कब्जा प्रतिवादी रामकरण का ही देखा है, वादीगण का विवादित भूमि पर कब्जा नहीं रहा। उक्त दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि विवादित भूमि पर कब्जा अपीलार्थी का भू प्रबन्ध से पूर्व से ही चला आ रहा है। इसलिये अपीलार्थी का कब्जा अतिक्रमी की हैसियत से नहीं माना जा सकता। इसके अतिरिक्त विचारण न्यायालय की पत्रावली में प्रदर्श डी–1 जो नकल बटवारा है, उसके अवलोकन से यह पूर्णतया स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त आराजी भू प्रबन्ध से पूर्व दोनों पक्षों की खातेदारी में दर्ज थी। इसलिये विचारण न्यायालय ने प्रत्यर्थीगण द्वारा अधिनियम की धारा 183 के तहत प्रस्तुत वाद को खारिज करने में और अपीलार्थी प्रतिवादी के काउण्टर क्लेम को डिक्री करने में कोई विधिक भूल नहीं की है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य का विवेचन किये

बिना जो निर्णय पारित किया है उसका समर्थन नहीं किया जा सकता है।

8. उपरोक्त विवेचन के अनुसरण में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 10–10–02को निरस्त किया जाता है एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 31–3–01 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(धूकलराम कसवां)
सदस्य

(शिखर अग्रवाल)
सदस्य